न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-322RAAJodhpur2022-197RTA225 Bhawanisingh ors Vs Rughnathsingh etc
2022-379RAAJodhpur2022-231RTA225 Mularam ors Vs Rughnathsingh etc

01. भवानीसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
02. नरपतसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
03. राम् कंवर पत्नी स्वरूपसिंह
04. मूलसिंह पुत्र रामसिंह
05. मालमसिंह पुत्र रामसिंह
06. आम सिंह पुत्र रामसिंह
07. दलपतसिंह पुत्र रामसिंह
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- खिरजा आशा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. रूगनाथ सिंह पुत्र अचल सिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र पुंजराज सिंह
3. गुमानसिंह पुत्र पुंजराज सिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- खीरजा आशा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. बीजाराम पुत्र रामूराम के कायम मुकामः -
4.1. श्रीमती लक्ष्मणदेवी पत्नी बीजाराम (फौत)
4.2. क्मोदेवी पुत्री बीजाराम
4.3. देऊदेवी पुत्री बीजाराम
4.4. सुमन देवी पुत्री बीजाराम
4.5. हवा देवी पुत्री बीजाराम
4.6. मिरगादेवी पुत्री बीजाराम
4.7. नीतु देवी पुत्री बीजाराम
4.8. धर्माराम पुत्र बीजाराम
सभी जातियान् मेघवाल, रेस्पोडेंट संख्या 4/2 से 4/8 नाबालिग जरिये कुदरती वली काका सुजाराम निवासी खीरजा आशा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. मूलाराम पुत्र रामूराम
6. सुजाराम पुत्र रामूराम
7. कुम्भाराम पुत्र चुनाराम
8. नखताराम पुत्र चुनाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9. ढलकी पुत्री दीपाराम
10. पेपो देवी पत्नी रामूराम (फौत)

समस्त जातियान् मेघवाल, निवासीगण- खिरजा आशा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2018 रूगनाथसिंह बनाम कल्याणसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सुमेरसिंह गौड़, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार से आठ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या ग्यारह

(2) 2022-379RAAJodhpur2022-231RTA225 Mularam ors Vs Rughnathsingh etc

1. मूलाराम पुत्र रामूराम
2. सुजाराम पुत्र रामूराम
3. कुम्भाराम पुत्र चुनाराम
4. नखताराम पुत्र चुनाराम
5. बीजाराम पुत्र रामूराम के कायम मुकामः -
   - 5.1. लक्ष्मणदेवी पत्नी बीजाराम (फौत)
   - 5.2. कमोदेवी पुत्री बीजाराम
   - 5.3. देऊदेवी पुत्री बीजाराम
   - 5.4. सुमन देवी पुत्री बीजाराम
   - 5.5. हवा देवी पुत्री बीजाराम
   - 5.6. मिरगादेवी पुत्री बीजाराम
   - 5.7. नीतु देवी पुत्री बीजाराम
   - 5.8. धर्माराम पुत्र बीजाराम

   सभी जातियान् मेघवाल, रेस्पोडेंट संख्या 5/2 से 5/8 नाबालिग जरिये कुदरती वली काका रेस्पो संख्या दो सुजाराम निवासी खीरजा आशा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. रूगनाथ सिंह पुत्र अचल सिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र पुंजराज सिंह
3. गुमानसिंह पुत्र पुंजराज सिंह
   जातियान् राजपूत, निवासीगण- खीरजा आशा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. ढलकी पुत्री दीपाराम
   जातियान् मेघवाल, निवासीगण- खिरजा आशा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

6. रेस्पो. ...
7.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2018 रूगनाथसिंह बनाम कल्याणसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सुमेरसिंह गौड़, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या पांच

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 23 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने दोनो अपीले सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2018 रूगनाथसिंह बनाम कल्याणसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत क्रमशः दिनांक 25 जुलाई 2022 एवं दिनांक 18 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीलों की विषय-वस्तु, पक्षकारान् एवं समान ही आदेश के विरुद्ध प्रस्तुंत किये जाने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में एक-एक निर्णय प्रति रखी जावे।

अपील संख्या 197/2020 अनवान भवानीसिंह बनाम रूगनाथसिंह में अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति देने बाबत पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 422 राजस्व ग्राम खीरजा खास तहसील शेरगढ में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 423 एवं 430/1 में सें 18 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 जुलाई 2022 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपीले प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स(अपील संख्या 197/2022) ने तथ्यों को दोहराते हुए सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति देने बाबत पर कथन किया कि अपीलांट्स भूमि खसरा नं. 430 रकबा 3.10 बीघा ग्राम खीरजा आशा के खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय में न तो अपीलांट्स को पक्षकार बनाया गया तथा न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारण अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है, जिन्हें अपील पेश करने का अधिकार है। इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनमति प्रदान की जावे।

अपील पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक अपने खातेदारी भूमि खसरा नं. 422 में आवागमन हेतु उसके खेत के उतर-पश्चिम में लगी फाटक में से होकर डुंगरसिंह पुत्र राजसिंह के खेत में से होकर आगे कटाणी रास्ते तक जाता हैं। विचारण न्यायाल द्वारा उक्त विकल्प पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के खातेदारी भूमि खसरा नं. 430 के दो टुकड़े हो जायेंगे, इस कानूनी बिंदु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट्स के अधिवक्ता(अपील संख्या 231/2022) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 423 के दक्षिणी में खसरा नं. 425 आया हुआ है जो इनके परिवार के सदस्यों का है, उसमें से रास्ते की मांग की जा सकती थी, लेकिन अपीलांट्स को नुकसान पंहुचाने की नियत से अपीलांट्स की भूमि में सें रास्ता निकालने की मांग की गई है जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या एक अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 422 में रहवास नहीं करता है। इस खसरे में जाने के लिए मौके पर रास्ता मौजूद है तथा मौके पर फाटक लगी हुई है तथा उसी रास्ता का आवागमन हेतु उपयोग किया जा रहा है। किसी भी अपीलाधीन आदेश से खेत के दो टुकड़े नहीं किये जा सकते है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 जुलाई 2022 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने दोनो अपीलों के अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार तलब मौका रिपोर्ट के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड मे रास्ते का अमल दरामद हो चुका है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम अपील संख्या 197/2022 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति का निस्तारण किया जाना उचित है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स खसरा नं. 430 रकबा 3.10 बीघा ग्राम खिरजा आशा के रेकर्डेड खातेदार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को मामले में पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी खातदेारी भूमि खसरा नं. 430 में सें रास्ते का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार पाये जाने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने खातेदारी खसरा नं. 422 में आवागमन हेतु खसरा नं. 423 एवं 430/1 में से रास्ता चाहा गया है। इसके विपरीत विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 22 जुलाई 2020 रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 430 एवं 423 में सें लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। अपीलाधीन रास्ता खसरा नं. 430 के बीच में से रास्ता दिया जाकर खसरा नं. 430 को दो असमान भागों में विभाजित कर दिया गया है जो धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत पाया जाता है।

अपीलांट्स (अपील संख्या 231/2022) का उज्र है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु हेतु मौके पर खसरा नं. 425 में सें रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स की ओर से मौका फर्द पर आपत्तियॉ प्रस्तुत कर रेस्पो संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर डूंगरसिंह पुत्र रामसिंह के खेत में सें वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना बताया गया तथा मौके पर फाटक लगी होना बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किये बिना तथा मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

हस्तगत मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 430 के खातेदारान् को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 430 में से नवीन रास्ते का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 15 जुलाई 2022 को अपास्त किया जाता है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए लघुतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर